पत्रांक - 933/0-100/2023

दिनांक - 28/08/2023

To,

The Registrar,
National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi.

Subject- Factual and Action taken report in compliance of order dated 01.08.2023 in O.A. No. 435/2023 "Jasbir Singh V/s State of U.P.

Respected Sir,

In the above noted case, Hon`ble Tribunal has given direction as below :-

"Further, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of CPCB, State PCB and District Magistrate, Mathura and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action including imposition of environmental compensation and utilization thereof for remediation of environmental damage by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The Committee may further verify compliance with EC and CTE/CTO conditions by the PP. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

Factual and Action taken Report maybe submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."

In the compliance of above directions, an inspection of site mentioned in the order of Hon`ble Tribunal was carried out by a joint team comprising of the officials from the office of District Magistrate, Mathura, Central Pollution Control Board, Agra & U.P. Pollution Control Board, Mathura inspected the site mentioned in the order on dated-22.08.2023.

Accordingly a factual and Action taken report is being submitted with the present letter for kind perusal and further action in this regard.

Your faithfully,

28/08/2023

Regional Officer

C.C :-

1. Member Secretary, UP Pollution Control Board, Lucknow.
2. District Magistrate, Mathura.

Regional Officer

Report regarding Hon'ble NGT passed order on Dated 01.08.2023 in OA No. 435/2023.

Pursuant to the direction given by The Hon'ble NGT in the order passed on dated 01.08.2023in Original Application No. 435/2023. The main relevant contents of the order are as under:-

- In view of the above, we consider it appropriate to seek response from (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Govt. of UP, (2) UP State PCB, (3) District Magistrate, Mathura and (4) S.J.P. Global Limited, Mathura who are impleaded as respondent Nos. 1 to 4. The registry is also directed to prepare and attach memo of parties with the paper book accordingly. Notices be issued to Respondent Nos. 1 to 4 requiring them to file their response to the averments made in the application by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
- Further, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of CPCB, State PCB and District Magistrate, Mathura and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action including imposition of environmental compensation and utilization thereof for remediation of environmental damage by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The Committee may further verify compliance with EC and CTE/CTO conditions by the PP. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
- Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
- List for further consideration on 30.10.2023.
- A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the CPCB, State PCB and District Magistrate, Mathura by e-mail for requisite compliance."

In compliance of the above order, the following officials from the offices of District Magistrate, Mathura and UP Pollution Control Board, Mathura and Central Pollution Control Board, Agra inspected the site mentioned in the order on dated 22.08.2023.

The following officers were also present at the time of inspection:-

1. Mr. Ashok Kumar	-	**Deputy Collector, Mathura.**
2. Mr. Kamal Kumar	-	**Scientist-E, Central Pollution Control Board, Agra.**
3. Dr. Yogendra Kumar	-	**Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Mathura.**

A joint team inspection of site was carried out on dated 22.08.2023. the representative from the builder was Mr. Jitendra Kumar Shah-Site Engineer, Director of project Mr. Shekhar Agrawal present at the site during the visit .Complainer was informed to be present at site, but he could not present during visit .The details are as under:-

1. M/s S.J.P. Global Limited is situated at Khasra No.-844 to 848, 850, 851, 867 to 871, Mauja-Sunrakh Bangar, Tehsil & District-Mathura. It is operated by the name of whose Shri Sudeep Agrawal.
2. The Geo-Coordinates of the M/s S.J.P. Global Limited in Khasra No.-844 to 848, 850, 851, 867 to 871, Mauja-Sunrakh Bangar, Tehsil & District-Mathura are Latitude-27.562241& Longitude-77.656474
3. There is a residential colony developed by M/s S.J.P. Global Limited, which is approved by Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura. The residential colony was established in 2012. The approved map from concern authority is Annexed as annexure-1
4. As per the NOC point no-03 which is issued by UPPCB Mathura is annexed as annexure-2, the builder has to develop one STP for the treatment of the sewage generated in the project area but no sewage treatment plant has been established by the builder at the site. For the disposal of sewage ,the builder has send a request letter on dtd 09-3-2012 to Development authority Mathura is annexed as annexure-3 for connection of sewage drain to the authority's permission letter/agreement for connection of sewage of the project area to the city drainage system. However, the project area sewage drain was connected to the city sewage drain network which is connected to the SPS of Rukmini Vihar. During visit builder could not present any documents of sewerage tax paid to the concern authority/Agreement etc.
5. Builder has not developed any specific site for solid waste collection however, he has one rickshaw for door to door collection. Nagar Nigam Mathura has kept 04 solid waste collection bins inside the project area. As representative informed that Nagar Nigam daily collected solid waste from inside bins of project area for disposal at municipal solid waste site.
6. Builder has developed 05 rainwater collection tanks with a volume of 37 sqm each.
7. Builder has developed a green belt area along with one side of boundary wall of the project and a small- small area left over inside the project area.
8. A letter has been sent to the General Manager Water Works Department, Municipal Corporation, Mathura that the generated sewage of M/s S.J.P. Global Limited (Project Shri Radha Florence) is connected to 08 MLD STP through SPS Rukmini Vihar, Vrindavan, Mathura or not is Annexed as annexure -4.
9. A report has been sent to Board Headquarter Lucknow regarding the imposition of Environment compensation and show cause notice against the aforesaid Builder is Annexed as annexure -5.

10. Photographs taken at the time of inspection of M/s S.J.P. Global.

A factual and action taken report is being submitted for kind perusal and further action in this regard.

28/8/2023

(Dr. Yogender Kumar)
R.O., UPPCB,
Mathura

(Mr. Kamal Kumar)
Scientist E
CPCB, Agra.

28/8/2023

(Mr. Ashok Kumar)
Deputy Collector,
Mathura

Annexure-1

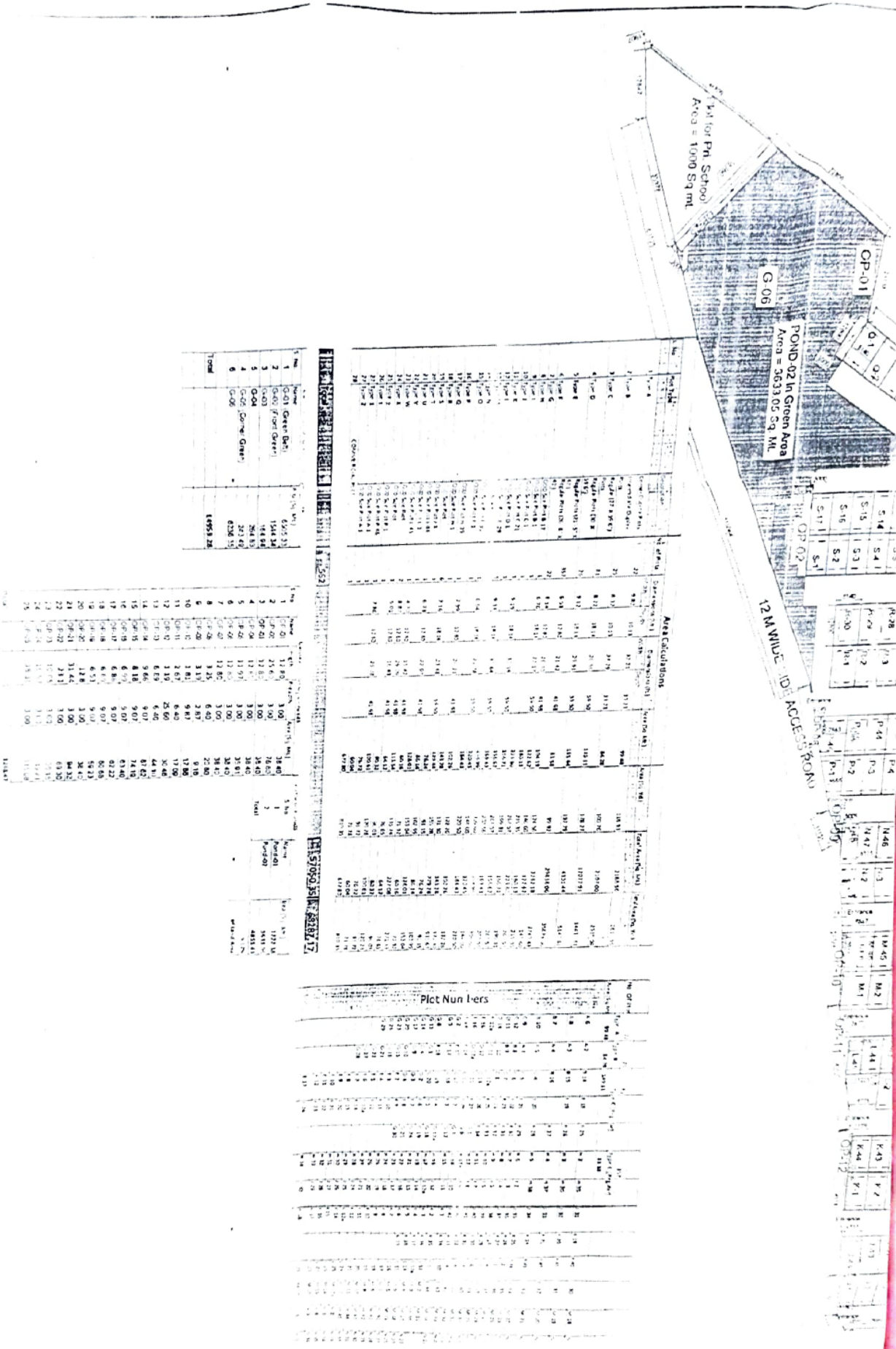
Plot for Pri. School
Area = 1000 Sq mt.
POND-02 In Green Area
Area = 3633.05 Sq. Mt.
G-06
CP-01
CP-02
12 M WIDE ROAD ACCESS FROM
Area Calculations
Plot Numbers

Annexure-1

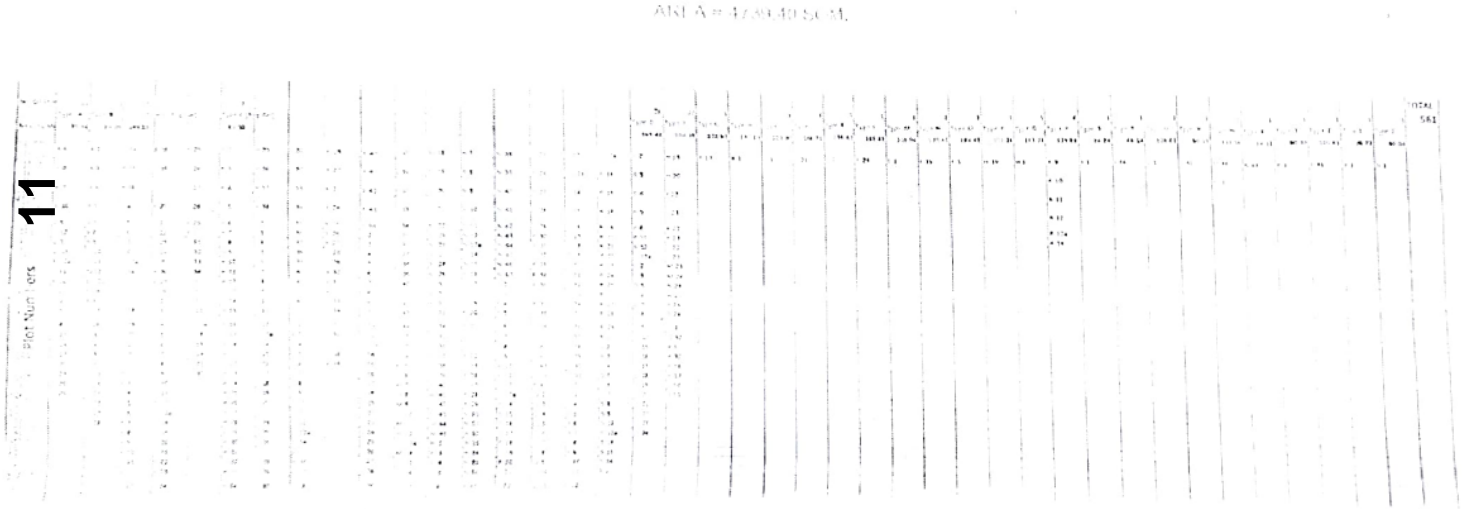

GREEN

SETBACK
LINE

Owner's/ Aut Signatory's Sign

SJP Real Estate Limited

Architect's Sign

GRUP ISM P LTD

A-4,
Friends Colony East (1st), N. Delhi 110065
Tel. (91). 11. 2691 3836, 2691 0886, 2691 2651
Facsimile (91). 11. 5162 8643
E-mail : grup@grup-ism.com
www.grup-ism.com

GRUP ISM P LTD

ARCHITECTS

THE GROUP FOR RURAL AND URBAN PLANNING

JOB

RESIDENTIAL PLOTTED DEVELOPMENT AT RADHA FLORAN
VRINDABAN AT KHASRA NO. 844, 845, 846, 847, 848, 850, 851, 867, 8
869, 870, 871 MAUZA SUNARAH BANGAR VRINDAVAN, DISTT. MATHUR

SHEET

SITE PLAN

JOB CODE

58

DATE

30-06-11

DEAL

SCALE
1:500 - A0
1:1000 - A1

CHECKED B

VM

DRAWING DATE (DD/MM/YY)

L-(1)01

#

Annexure-I

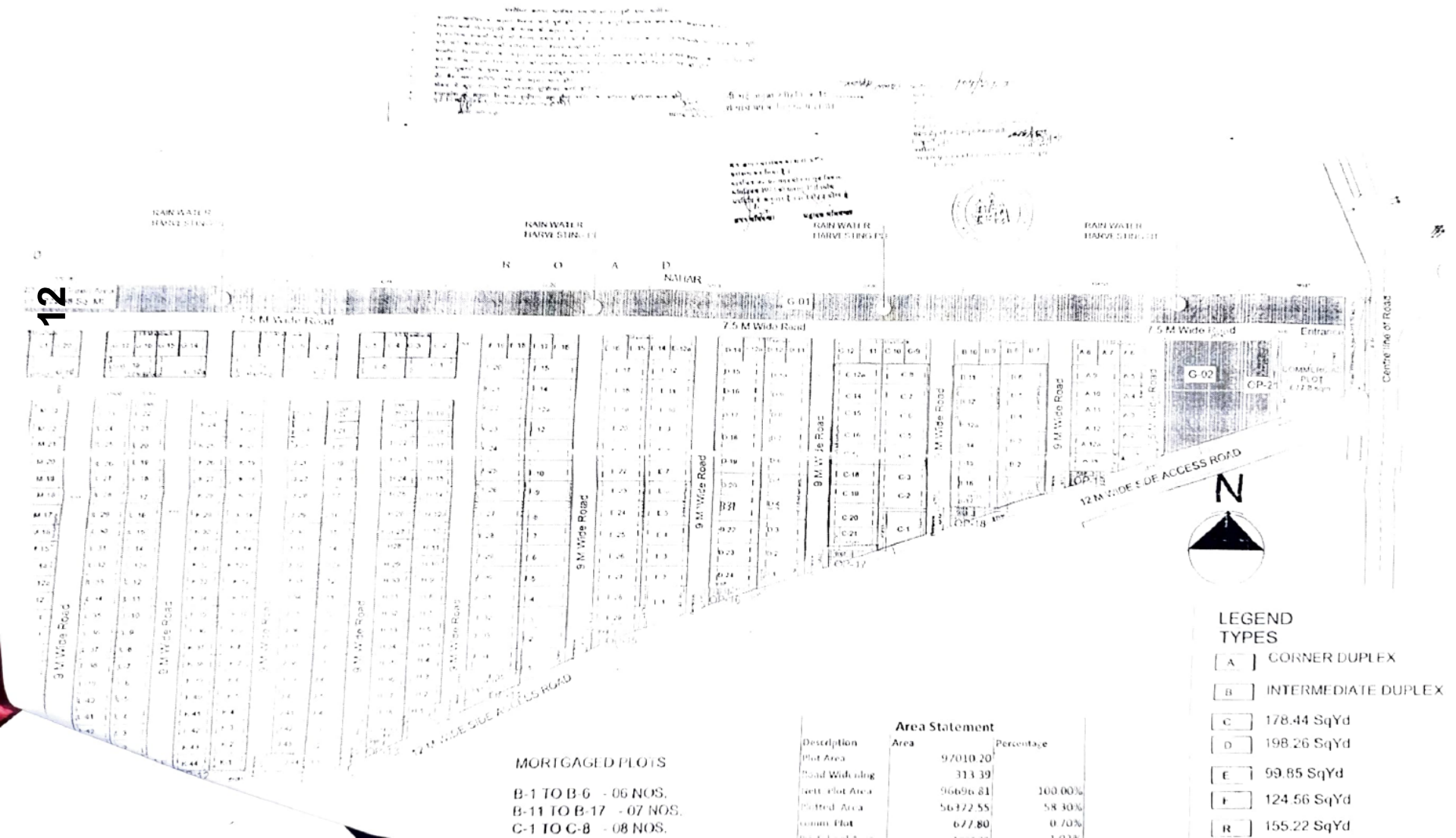

Area Statement

Description	Area	Percentage
Plot Area	97010.20	
Road Widening	313.39	
Nett Plot Area	96696.81	100.00%
Posited Area	56372.55	58.30%
Comm Plot	677.80	0.70%

Annexure I

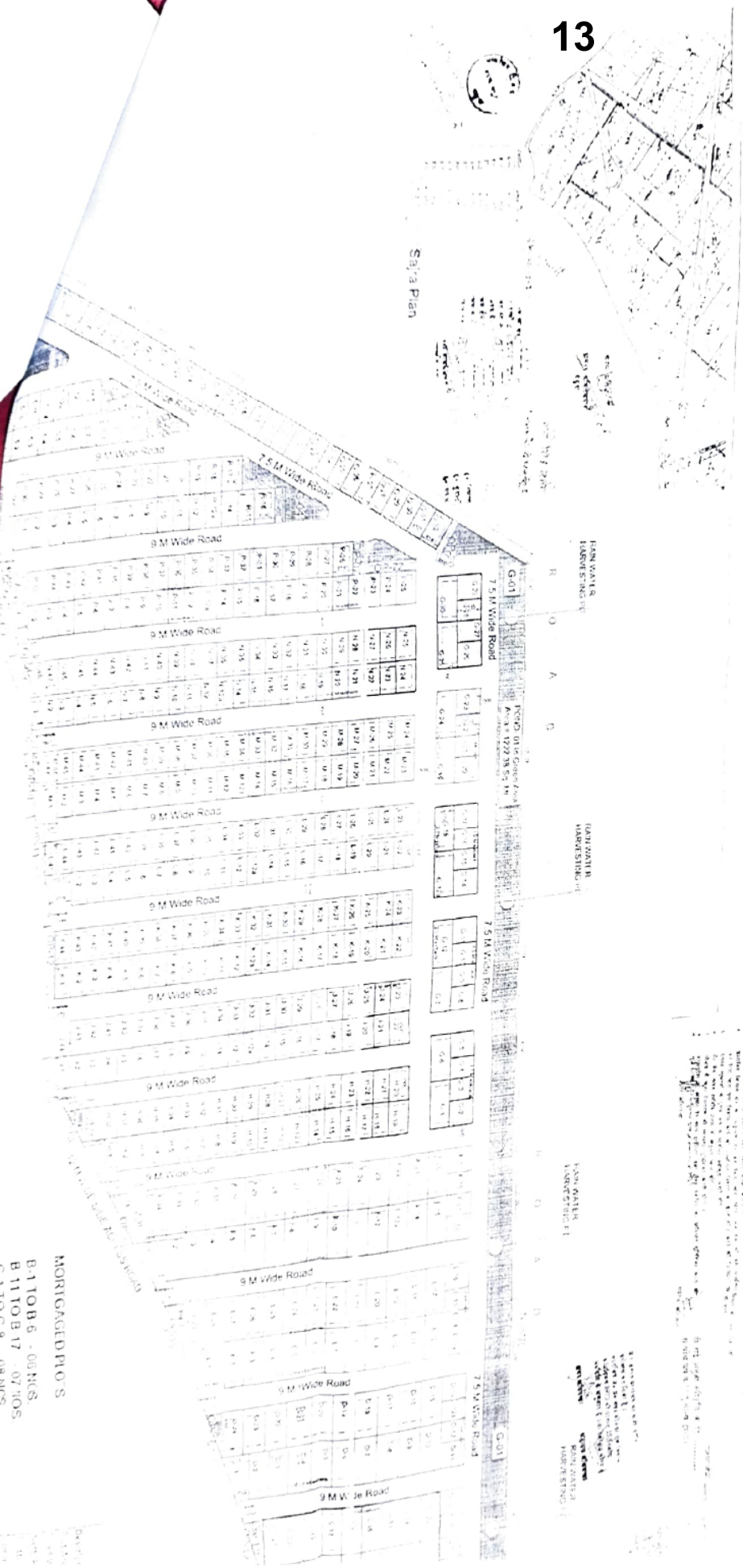
Site's Plan
9 M Wide Road
7.5 M Wide Road
RAIN WATER HARVESTING
ROAD
MORTGAGED PLOTS
B-110 B 6 - 09 NOS
B-110 B 17 - 07 NOS

Annexure-2

दूरभाष 2460921

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
65 ए बल्देव पुरी महोली रोड, मथुरा

पत्रांक 1441 /UPCC-718/12 दिनांक 15/10/12

सेवा में,

मैंसर्स एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0,
(प्रोजक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स)
द्वारा श्री सुदीप अग्रवाल,
वृन्दावन, मथुरा ।

विषय– पर्यावरणीय प्रदूषण अधिनियमों के अन्तर्गत आवासीय परियोजना विकास हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन दिनांक 09.02.2012 का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पत्र के सन्दर्भ में कृपया अवगत हो कि प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती हैं।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणो के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।

क– स्थल — खसरा स0– 844 से 848, 850, 851, 867 से 871 मौजा सुनरख बॉगर, तहसील व जनपद मथुरा।

ख– निर्माण कार्य — 97010.20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रस्तावित 562–आवासीय लघु भूखण्ड का विकास।

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

2. प्रस्तावित परियोजना के उपरोक्त अंकित खसरा पर स्थल विकास हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी प्रकार के स्थल में परिवर्तन, भूमि का क्षेत्रफल, प्लाट्स की संख्या इत्यादि में परिवर्तन होने की दशा में पुनः अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी।
3. रिहायशी कालोनी से जनित घरेलू बहिःस्राव के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के अनुसार की जाये तथा शुद्धिकरण के पश्चात् शुद्धिकृत घरेलू उत्प्रवाह का पूर्ण उपयोग सिंचाई कार्य हेतु परिसर में ही किया जाये।
4. रिहायशी कालोनी परिसर में प्रस्तावों के अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की स्थापना की जाये।
5. रिहायशी कालोनी में सालिड वेस्ट निस्तारण के लिये पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, 2000 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. रिहायशी कालोनी परिसर में चारों ओर समुचित हरित पट्टिका विकसित की जाये ।

कृपया शेष

Annexure-2

7. रिहायशी कालोनी के निर्माण के दौरान किसी प्रकार का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा कोई भी क्रिया कलाप पर्यावरण/जनहित के प्रतिकूल नही की जाये।

8. प्रस्तावित परियोजना ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है जोकि पर्यावरण दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है। निर्माण कार्य के दौरान एवं तत्पश्चात् किसी प्रदूषणकारी स्रोत/डी0जी0सेट की स्थापना एवं संचालन प्रतिबंधित है।

9. रिहायशी कालोनी में सिविल निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर इस कार्यालय में प्रति प्रेषित की जाये। साथ ही अन्य संबंधित विभागों से भी अनुमति प्राप्त की जाये।

10. प्रस्तावित आवासीय परियोजना के विकास कर्ता द्वारा पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं0 613 दिनांक 4.7.2004 एवं 14.9.2006 के प्राविधानों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

11. अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जाये। परियोजना का निर्माण पूर्ण होने से दो माह पूर्व सहमति जल एवं सहमति वायु हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर दिया जाये।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2013 तक वैध है। शर्तो के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तो का अनुपालन न पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त (रिवोक) किया जा सकता है।

भवदीय

(आर0के0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उक्त दिनांक

पृ0स0

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त–4), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-3

S.P REAL ESTATE LIMITED

AN ISO 9001:2000 CERTIFIED CO.

SHRI GROUP

सेवा में,

उपाध्यक्ष महोदय,

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

मथुरा

दिनांक : 04-02-2012

विषय:- सीवेज निस्तारण व्यवस्था बाबत

महोदय,

ग्राम सुनरख की भूमि पर हमारे द्वारा श्री राधा फ्लोरेंस नामक आवासीय योजना का मानचित्र संख्या 104 /V-10 -11 दिनांक 22-9-2011 प्राधिकरण से स्वीकृत कराया गया है इस योजना के सीवेज निस्तारण की व्यवस्था रुकमनी विहार योजना में निर्मित किये जा रहे एस. पी. एस. के माध्यम से प्रस्तावित है।

कृपया अनुरोध है कि इस योजना को कुल डिस्चार्ज 120 m^3 प्रतिदिन प्राधिकरण द्वारा डाले जा रहे सीवर के निकटतम मैनहोल तक हमारे द्वारा लाया जायेगा। कृपया इसको प्राधिकरण सीवर मे जोड़े जाने की अनुमति एवं स्थान निर्देशित कराने का कष्ट करें। इस हेतु हमारे द्वारा बाहय विकास (External Development) शुल्क मद में प्राधिकरण कोष में रु.21,13,680/- जमा कराये जा चुके हैं तथा भविष्य में क़िस्तो में रु. 62, 56, 224/- जमा कराना है। हमारा invert level पुलिया कलवर्ट के टॉप से लगभग 4 मीटर नीचे रहेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

सुरेश चन्द कौशिक

डायेरेक्टर-श्री ग्रुप

CE/XEN

ई. नोट्स

व्यवस्था (Provision)

को जोड़ा जा

विभाग विभाग द्वारा

या और Problem हो तो

अवगत

02/3/2012

Regd. Off.: 111, Shri Jamuna Dham, Mathura, U. P. 281004 Ph.: (0565) 2425038/ 2421412, Fax: (0565) 2425051 E-mail : info@shrigroup.net
Marketing Off.: H-105, Sector 12, Noida, U. P. 201301 Ph.: (0120) 4258543, Fax : (0120) 4254544 E-mail care@shrigroup.net
Visit us at : www.shrigroup.net SMS SG-56677

Annexure-4

वेब साइट: www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: 924/0-100/2023 दिनांक 25/08/2023

सेवा मे,

महाप्रबन्धक,
जलकल विभाग, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा।

विषय:– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0–435/2023 "जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश" में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–435/2023 "जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश" में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं–

"....Further, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of CPCB, State PCB and District Magistrate, Mathura and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action including imposition of environmental compensation and utilization thereof for remediation of environmental damage by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The Committee may further verify compliance with EC and CTE/CTO conditions by the PP. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

उक्त पारित आदेशों के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद मथुरा द्वारा जनित घरेलू उत्प्रवाह को सीवेज पम्पिंग स्टेशन रूक्मणी विहार से संयोजित किया गया है, जो कि अन्ततः 08 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर मिलती है, से संयोजित किया गया है अथवा नहीं। यदि किया गया है तो किस वर्ष व माह से किया गया है और अगर संयोजित नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना 03 दिन के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

संलग्नक–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति।

25/08/2023
(डॉ0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-5

वेब साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 923/0-100/2023 दिनांक 25/08/2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–435/2023 "जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0" में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–435/2023 "जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0" में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं–

"The applicant, a resident of Shri Radha Florance, Vrindavan Colony has sent present letter petition, which has been treated and registered as Original Application, complaining that NOC was granted to S.J.P. Global Limited for development of Shri Radha Florence, Vrindavan Colony. The builder has not established STP and rain water harvesting systems and has not made proper arrangements for disposal of solid waste. No green belt has been developed along the boundaries of the colony and no trees have been planted in the colony except in one park. The applicant made oral and written complaints against the builder but no action has been taken on the same."

अतः उक्त पारित आदेशों के अनुपालन में रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स) का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.08.2023 को किया गया (आख्या की छायाप्रति संलग्न)। संलग्न निरीक्षण आख्यानुसार संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा के विरूद्व रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से दिनांक 16.02.2016 से समस्या का समाधान होने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु साद्वर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

25/08/2023
(डॉ0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Office Letter Head :D

Annexure 5

मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स) का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय बिल्डर के प्रतिनिधि के रूप में श्री जितेन्द्र शाह, साइट इन्जीनीयर एवं श्री शेखर अग्रवाल, डारेक्टर प्राजेक्ट उपस्थित थे। विस्तृत आख्या का विवरण निम्नवत् है–

1. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स) ताज ट्रैपेजियम जोन के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा पर स्थापित है, जिसके अक्षांश–27.562241 एवं देशान्तर–77.65474 है।
2. सदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट को राज्य बोर्ड के पत्रांक 1441/एन0ओ0सी0–718/12 दिनांक 15.02.12 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, जिसके क्रम में बिल्डर द्वारा कॉलोनी का निर्माण कर उसे विकसित किया गया तथा आवंटियों को रहने हेतु आवंटित किया गया।
3. सन्दर्भित कालोनी में सिंप्लेक्स विला–286 (प्रत्येक 83.52 वर्ग मी0), डुप्लेक्स विला–47 (प्रत्येक 100.33 वर्ग मी0), प्लाट–202 (149.25 वर्ग मी0 एवं 83.52 वर्ग मी0), जिसमें 25 प्लॉट निर्मित एवं 25 प्लॉटों पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। कॉलोनी में लगभग आबादी 350 है।
4. सदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट से जनित घरेलू बहिःश्राव के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेंन्ट प्लाट की स्थापना राज्य बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार की जानी थी, परन्तु बिल्डर द्वारा कालोनी से जनित घरेलू उत्प्रवाह को नगर निगम की सीवेज लाईन से सम्बद्ध किया गया, जिसका शुद्धिकरण रूकमणी विहार एस0पी0एस0 के माध्यम से 08 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 द्वारा किया जाता है। बिल्डर द्वारा कालोनी की सीवेज लाईन को नगर निगम से सम्बद्ध किये जाने हेतु कोई प्रपत्र/अभिलेख/भुगतान की रसीद इत्यादि प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।
5. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु 05 कलैक्शन पिट (प्रत्येक साइज–4x3 फिट) का निर्माण किया गया है।
6. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में सॉलिड वेस्ट के कलैक्शन हेतु कोई जगह निश्चित नहीं की गयी है। कालोनी के सॉलिड वेस्ट को डोर–टू–डोर रिक्शे द्वारा कलैक्ट किया जाता है। कालोनी में नगर निगम मथुरा द्वारा 04 लोहे के वेस्ट कलैक्शन पिट रखे गये है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधी ने अवगत कराया कि उक्त सॉलिड वेस्ट को नगर निगम द्वारा कलैक्ट किया जाता है, जिसे निस्तारण हेतु नगर निगम की डम्पिंग साइट भेजा जाता है।
7. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में कालोनी के एक तरफ की दीवार की तरफ हरित पट्टिका विकसित की गयी है तथा कालोनी में छोटे–छोट स्थलों पर हरित पट्टिका विकसित की गयी है।
8. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट के विरूद्व प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्रांक 727/जे–75/2023 दिनांक 13.07.2023, 645/जे–75/2023 दिनांक 12.06.2023 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे, जिसका प्रतिउत्तर वर्तमान समय में रियल स्टेट प्रोजेक्ट स्वामी द्वारा कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है।
9. सदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट के बिल्डर द्वारा कालोनी के संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है।
10. प्रश्नगत प्रकरण मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–435/2023 के अन्तर्गत विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा के विरूद्व रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से दिनांक 16.02.2016 से समस्या का समाधान होने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

25.08.23
(शैलेश मौर्य)
अनुश्रवण सहायक

25/08/23
(डॉ0 स्नेहलता)
वैज्ञानिक सहायक

25/08/2023
(आर0बी0 सिंह)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

25/08/2023